



मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ०प्र०

तृतीय तल, अपट्टान भवन, गोमती नगर, लखनऊ

फैक्स नं०-0522-6666192

फोन नं०-0522-6666162, 6666163

ई मेल-ikomdm@gmail.com

Website : www.upmdm.org

पत्रांक: म०भो०प्रा०/सा०/निरी० ६३७१५ /2011-12

दिनांक : १२-११-११

सेवा में,

समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उ०प्र०।

विषय: मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत जनपद स्तरीय चेक लिस्ट के संबंध में।

महोदय,

मध्यान्ह भोजन योजना एक महत्वपूर्ण योजना है। उक्त योजनान्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को पौष्टिक एवं सुस्वादु मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराया जाता है। विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन की नियमित उपलब्धता एवं गुणवत्ता के लिये यह आवश्यक है कि आप द्वारा अधीनस्थ जनपदों के विद्यालयों में योजना के क्रियान्वयन के संबंध में सघनतापूर्वक निरीक्षण नियमित रूप से किया जाता रहे। उक्त निरीक्षण हेतु मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा एक चेक लिस्ट निर्धारित की गयी है, जो आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि भविष्य में जब भी आप एवं आपके मध्यान्ह भोजन योजना समन्वयक द्वारा योजना का निरीक्षण किया जाये तो उक्त चेकलिस्ट के आधार पर निरीक्षण की कार्यवाही सम्पादित की जाये तथा निरीक्षण में पायी गयी कमियों का निराकरण भी कराया जाये। निरीक्षण के उपरान्त निरीक्षण रिपोर्ट तथा तत्संबंधी अनुपालन आख्या इस कार्यालय को भी उपलब्ध करायी जाये।

संलग्नक-उक्तवत्।

भवदीय,

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
निदेशक

पृ०सं०: म०भो०प्रा०/सा०/निरी० /

/2011-12

दिनांक : उक्तवत्।

प्रतिलिपि: समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
निदेशक



मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ०प्र०

तृतीय तल, अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ

फैक्स नं०-0522-6666192

फोन नं०-0522-6666162, 6666163

ई मेल-ikomdm@gmail.com

Website : www.upmdm.org

पत्रांक: म०भो०प्र०/सा०/निरी० /

/2011-12

दिनांक : 22-11-11

सेवा में,

समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)

उ०प्र०।

विषय: मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत जनपद स्तरीय चेक लिस्ट के संबंध में।

महोदय,

मध्यान्ह भोजन योजना एक महत्वपूर्ण योजना है। उक्त योजनान्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को पौष्टिक एवं सुस्वादु मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराया जाता है। विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन की नियमित उपलब्धता एवं गुणवत्ता के लिये यह आवश्यक है कि आप द्वारा अधीनस्थ जनपदों के विद्यालयों में योजना के क्रियान्वयन के संबंध में सघनतापूर्वक निरीक्षण नियमित रूप से किया जाता रहे। उक्त निरीक्षण हेतु मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा एक चेक लिस्ट निर्धारित की गयी है, जो आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि भविष्य में जब भी आप एवं आपके मध्यान्ह भोजन योजना समन्वयक द्वारा योजना का निरीक्षण किया जाये तो उक्त चेकलिस्ट के आधार पर निरीक्षण की कार्यवाही सम्पादित की जाये तथा निरीक्षण में पायी गयी कमियों का निराकरण भी कराया जाये। निरीक्षण के उपरान्त निरीक्षण रिपोर्ट तथा तत्संबंधी अनुपालन आख्या इस कार्यालय को भी उपलब्ध करायी जाये।

संलग्नक-उक्तवत्।

भवदीय,

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
निदेशक

पृ०सं०: म०भो०प्र०/सा०/निरी० /C-3794 /2011-12

प्रतिलिपि: समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।

दिनांक : उक्तवत्।

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
निदेशक

मध्याह्न भोजन योजना के निरीक्षण
से सम्बन्धित चेक बिन्दु

जनपद:-

विकासखण्ड का नाम:-

विद्यालय:-

1. पंजीकृत छात्र संख्या
2. निरीक्षण के समय उपस्थित छात्र संख्या
3. खाना पकाने वाले रसोइयों की संख्या व प्रतिमाह मानदेय
4. विद्यालय की दीवार पर मीनू सम्बन्धित अधिकारियों के नम्बर व हार्डट वेट चार्ट पेन्ट है अथवा नहीं
5. जनपद स्तर पर उपलब्ध खाद्यान्न के मानक नमूने से विद्यालय में उपलब्ध खाद्यान्न का मिलान करने पर पायी गयी स्थिति
6. खाद्यान्न का भण्डारण किस स्तर पर और कहाँ किया जा रहा है
7. किचेन शेड निर्माण की स्थिति निर्मित/निर्माणाधीन/निर्मित नहीं
8. विद्यालय में बर्तन पर्याप्त है/नहीं है
9. हैण्डपम्प लगा है/चालू/खराब .
10. विद्यालय स्तर पर/एन.जी.ओ. के खाते में कन्वर्जन कार्ड की धनराशि एवं खाद्यान्न उपलब्ध है/नहीं है, यदि है तो कब तक के लिए
11. भोजन निर्माण हेतु तेल/कि किस प्रकार का है खुला/सील बन्द/यदि सील बन्द है तब ब्राण्ड का नाम
12. नमक का प्रयोग डली/पिसा सील बन्द पैकेट/आयोडीन युक्त/ब्राण्ड का नाम
13. प्रयोग किए जाने वाले मसाले साधारण/ब्राण्डेड एगमार्क युक्त/ब्राण्ड का नाम
14. भोजन पकाने हेतु इस्तेमाल किया जाने वाला चूल्हा परम्परागत चूल्हा/धूम्र रहित चूल्हा/गैस सिलेण्डर एक या दो
15. भोजन पकाने हेतु बर्तनों की सफाई उच्च स्तरीय/साधारण/स्तरहीन
16. बच्चों को भोजन दिए जाने के पूर्व प्रतिदिन भोजन को चखने की स्थिति अध्यापक द्वारा/अभिभावक द्वारा/माता समूह द्वारा/रसोइये द्वारा/कोई अन्य
17. भोजन बनाने का स्थान साफ सुथरा/गन्दा
18. मीनू के आधार पर भोजन दिया जा रहा है/नहीं दिया जा रहा है
19. भोजन निर्धारित मात्रा में दिया जा रहा है/नहीं दिया जा रहा है
20. जनपद स्तरीय एवं विकास खण्ड स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा विद्यालय में निरीक्षण कितनी बार किया गया है।
21. यदि भोजन स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा दिया जा रहा है तब भोजन की गुणवत्ता/समय से भोजन की उपलब्धता/भोजन लाने वाले व्यक्ति के पास पहचान पत्र की स्थिति
22. रसोइये का प्रशिक्षण कराया गया है/नहीं कराया गया है।
23. विद्यालय में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता वेईंग मशीन/बड़े आकार का शीशा/कघां/नेल कटर/तौलिया/First aid kit
24. एम.डी.एम. रजिस्टर की विद्यालय में उपलब्धता तथा मध्याह्न भोजन वितरण का अंकन।

निरीक्षण का दिनांक व समय

हस्ताक्षर

निरीक्षणकर्ता अधिकारी
नाम व पदनाम सहित

जनपद स्तरीय (निरीक्षण प्रपत्र)

1. शहरी / नगर क्षेत्रों में मध्याह्न भोजन योजना संचालन में स्वयंसेवी संस्थाओं का योगदान -

संस्था का नाम	अनुबन्ध किए जाने की अवधि	भोजन वितरण विद्यालयों की संख्या	केन्द्रीय किचेन की संख्या

2. क्या स्वयं सेवी संस्था को खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत मध्याह्न भोजन ग्रहण करने वाले छात्रों की वास्तविक संख्या के आधार पर आवंटित किया जाता है?
 3. जनपद में मध्याह्न भोजन संचालन की स्थिति:-

प्रथमिक विद्यालय	योजना से आम्बुदित विद्यालयों की संख्या	योजना से आम्बुदित विद्यालयों में नामांकित छात्रों की संख्या	प्रतिदिन मध्याह्न भोजन ग्रहण करने वाले छात्रों की वास्तविक संख्या
उच्च प्राथमिक विद्यालय			

4. जिलाधिकारी द्वारा योजना की समीक्षा बैठक आयोजित होने की स्थिति।
 5. वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय के अनुसार कन्वर्जन कास्ट की धनराशि मध्याह्न भोजन निधि में हस्तान्तरण की स्थिति -

परिवर्तन लागत	कुल प्राप्त धनराशि (रु० लाख में)	हस्तान्तरित धनराशि (रु० लाख में)	हस्तान्तरण का दिनांक	अवशेष धनराशि (रु० लाख में)

6. मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत खाद्यान्न आवंटन / उठान तथा खाद्यान्न मूल्य के भुगतान की स्थिति

जनपद को कुल आवंटन (कुन्तल में)	एफ०सी०आई० से उठान किया गया खाद्यान्न (कुन्तल में)	एफ०सी०आई० से प्राप्त बिल की स्थिति		एफ०सी०आई० को भुगतान की स्थिति (रु० लाख में)	अवशेष भुगतान (रु० लाख में)
		मात्रा	धनराशि (रु० लाख में)		

7. परिवहन एजेन्सियों के भुगतान की स्थिति

परिवहन एजेन्सियों द्वारा उठान की गयी खाद्यान्न की मात्रा (कुन्तल में)	विद्यालयों को उपलब्ध कराई गयी खाद्यान्न की मात्रा (कुन्तल में)	परिवहन एजेन्सियों द्वारा प्रस्तुत बिल (रु० में)	भुगतान की स्थिति (रु० में)	अवशेष (रु० में)